

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L0026612**

श्री मोहन लालवानी,  
बी-15, न्यू म.नं. -1,  
आकाश ज्वैलर्स के पीछे,  
बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री,  
शहर संभाग (उत्तर)  
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
भोपाल (म.प्र.)

— अनावेदकगण

**(आदेश दिनांक 28.02.2013)**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक C0115512 श्री मोहन लालवानी विरुद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012 से व्यथित होकर यह अभ्यावेदन आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि निरीक्षण रिपोर्ट को कूटरचित कर उपभोक्ता के विरुद्ध तथाकथित राशि आरोपित कर अवैधानिक रूप से उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, अतः फोरम से उसने यह राहत चाहा था कि अवैधानिक रूप से जमा कराई गई राशि रु. 3465/- एवं 200/- रु. मय ब्याज के, जमा दिनांक से तथा क्षतिपूर्ति राशि जो न्यायोचित है उसे दिलाई जाए ।

3. फोरम ने शिकायत की समीक्षा कर यह निर्णय दिया था कि कनिष्ठ यंत्री द्वारा बनाई गई विद्युत निरीक्षण की रिपोर्ट में भ्रम की स्थिति के कारण प्रकरण में विवाद उत्पन्न हुआ है । अनावेदक द्वारा आवेदक पर जो राशि निकाली गई है, उसका समायोजन अग्रिम माह के देयक में कर दिया जायेगा । इस राशि पर ब्याज देने की उपभोक्ता की मांग का औचित्य न होने के कारण तथा मानसिक अभित्रास/क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने का अधिकार फोरम का नहीं होने से आवेदक उपभोक्ता की यह मांग भी अस्वीकार की गई थी ।

## प्रकरण क्रमांक L0026612

4. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता द्वारा यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसका विद्युत विच्छेदन गैर न्यायोचित था । ऐसी स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना था, परन्तु फोरम ने क्षतिपूर्ति प्रदान न करते हुए जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है । अतः उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –** क्या विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर उसका विद्युत विच्छेदन गैर न्यायोचित पाये जाने पर फोरम द्वारा उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाना वांछित है ?

### कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :-

6. उक्त प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष जो शिकायत की गई है उसमें पक्षकार के रूप में कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग को संयोजित किया गया है, जबकि विद्युत वितरण करने के लिये उत्तरदायी वितरण लायसेंसी होता है । कार्यपालन यंत्री उक्त लायसेंसी का कर्मचारी है और लायसेंसी की ओर से कार्यपालन यंत्री को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का निर्देश दिया गया है या प्राधिकृत किया गया है, इस तथ्य का कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं है । ऐसी स्थिति में वितरण लायसेंसी को पक्षकार बनाये बिना जो आदेश दिया गया है वह प्रथमदृष्टया: विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

7. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम के अभिलेख का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि महाप्रबंधक (सतर्कता) ने अपने पत्र क्रमांक/मध्यप्रदेश/सतर्कता/भो/12/248 दिनांक 22.05.12 जो कि महाप्रबंधक (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक मप्रमक्षेविविकलिमिटेड, भोपाल को संबोधित है, में उपभोक्ता मोहन लालवानी की शिकायत के संदर्भ में यह जानकारी दी गई थी कि मोहन लालवानी के परिसर का निरीक्षण दिनांक 15.10.11 को किये जाने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी, स्थल पर बनाया गया पंचनामा जिसकी प्रति उपभोक्ता को दी गई थी उसमें दर्ज टीप उपभोक्ता द्वारा अस्थायी कनेक्शन नहीं लिया गया था एवं फ्लोरिंग मार्बल की पाई एवं 101 से 102 में करने संबंधी जो गोल राउण्ड कर सर्किल में दर्शाया गया है, बाद में दर्ज की गई है । उपभोक्ता को बाद में दर्ज टीप के आधार पर दिया गया 3 माह की अवधि का बिल उचित नहीं है तथा जारी किया गया बिल में भुगतान की गई तिथि 04.11.11 दर्शाई गई है, जबकि इसके पूर्व दिनांक 02.02.11 को विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधिसंगत नहीं है ।

## प्रकरण क्रमांक L0026612

8. महाप्रबंधक (सतर्कता) ने महाप्रबंधक (वाणिज्य) को लिखित रूप में जो जानकारी दी थी उससे स्पष्ट था कि आवेदक उपभोक्ता ने अपने परिसर का विच्छेदन गैर-न्यायोचित ढंग से किये जाने की जो शिकायत की थी वह उचित थी तथा उसे जो विद्युत देयक दिया गया था वह विधिसंगत नहीं था, परन्तु अभिलेख में उक्त दस्तावेज उपलब्ध होते हुए भी फोरम ने इस पर विचार नहीं किया तथा उपभोक्ता की वास्तविक शिकायत का निराकरण न करते हुए उसके देयक की राशि का समायोजन अग्रिम माह में कर दिया जायेगा, का निर्देश दिया गया है । वस्तुतः देयक कितने का था और उसे कितने का होना चाहिए, इस संबंध में भी फोरम द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है ।

9. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 के परिशिष्ट – 2 की कण्डिका – 6 जिसका शीर्षक विद्युत आपूर्ति तथा विच्छेदन और पुर्नसंयोजन है, के प्रावधानों के अनुसार “यदि फोरम द्वारा यह पाया जाता है कि विच्छेदन गैर-न्यायोचित है तो अनुज्ञप्तिधारी को दण्डित किया जाएगा और उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकेगी जैसा कि फोरम द्वारा निर्देशित किया जाए” ।

10. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु विहित विनियम, 2004 का पुनरीक्षण वर्ष 2009 में किया गया । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-1) विनियम, 2009 को प्रभावशील किये जाने के पश्चात् मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 को निरस्त किया गया है । अतः उक्त प्रयोजन हेतु विनियमित विनियम, 2004 के प्रावधान प्रभावशील न होने से फोरम द्वारा गैर न्यायोचित विच्छेदन के लिये अनुज्ञप्तिधारी को दण्डित किये जाने का प्रावधान उक्त विनियम में नहीं है । अतः वर्ष 2009 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्तिधारी को गैर-न्यायोचित विच्छेदन के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता है ।

11. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 क्रमांक आरजी-8 (II वर्ष 2012) की कण्डिका 5.2 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा के प्रत्याभूत मानदण्डों की उपलब्धि में चूक किये जाने पर उस उपभोक्ता को परिशिष्ट ‘अ’ में दर्शाये अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान अनिवार्य होगा । परिशिष्ट ‘अ’ की कण्डिका (ix) के अनुसार संयोजन के विच्छेदन के उपरान्त विद्युत प्रदाय का पुर्न-संयोजन उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से नगर तथा शहर में 4 घंटे के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अन्दर किया जाना आवश्यक है और ऐसा नहीं किये जाने पर तथा विलंब होने पर 100 रु. अथवा उसके अंशभाग की दर से उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती

है । इस मामले में उपभोक्ता द्वारा राशि दिये जाने के कितने समय बाद उसका पुर्न-संयोजन किया गया था, इसका कोई स्पष्टीकरण फोरम के अभिलेख का अवलोकन करने से प्राप्त नहीं होता है ।

12. अतः आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है । फोरम के आदेश को अपास्त करते हुए उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत को पुनः फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि फोरम उपभोक्ता को निर्देशित करें कि वह शिकायत के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी (वितरण लाईसेंसी) को पक्षकार के रूप में संयोजित करें । उपभोक्ता द्वारा ऐसा किए जाने पर मामले की पुनः सुनवाई की जाए तथा विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जावे ।

13. फोरम द्वारा उक्त शिकायत को दिनांक 25.03.13 को सुनवाई में लिया जावे । उपभोक्ता दिनांक 25.03.13 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर फोरम के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

14. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल